## महत्वपूर्ण एवं खास

### वार्ड क्रमांक 3 खालपारा में आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिये 29 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित

**रायगढ़ ।** एकीकृत बाल विकास परियोजना रायगढ़ शहरी अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र खालपारा वार्ड क्रमांक 3 में आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिये 29 जुलाई 2021 तक शाम 5.30 बजे तक आवेदन आमंत्रित किए गए है। इच्छुक आवेदिका नियत तिथि एवं समय पर कार्यालय एकीकृत बाल विकास परियोजना रायगढ़ शहरी में सीधे अथवा पंजीकृत डाक से आवेदन भेज सकते है। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिये कार्यालय में आकर संपर्क कर सकते है।

### पुत्र की पानी में डूबने से मृत्यु पर पिता को मिली सहायता राशि

**रायगढ़ ।** तहसील खरसिया के ग्राम-मुरा निवासी जय देवांगन की 17 अक्टूबर 2020 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात एसडीएम खरसिया द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के संशोधित प्रावधान के तहत मृतक के पिता मदनलाल को 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

### फ्री-होल्ड की कार्यवाही किये जाने एवं वार्डो में जाकर आवेदन प्राप्त करने के लिये शिविर हो रहे आयोजित

**रायगढ़ ।** कलेक्टर भीम सिंह ने नगर निगम क्षेत्र रायगढ़ अंतर्गत जारी गैर-रियायती पट्टों के नवीनीकरण, फ्री-होल्ड, व्यवस्थापन तथा बंटन की कार्यवाही किए जाने हेतु रायगढ़ शहर स्थित समस्त वार्डो में जाकर आवेदन प्राप्त करने हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। शीट नंबर 43, 44, 57 एवं 58 के लिये 19 जुलाई को प्रातः 10.30 बजे से शाम 4 बजे तक अग्रोहा भवन में शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें रा.नि.नजूल मनोज पटेल, खेमराज पटेल, योगेश पटेल एवं टीकाराम राठिया ड्यूटी पर रहेंगे। शीट नंबर 29, 30, 31, 32, 33 के लिये 20 जुलाई को प्रातः 10.30 बजे से शाम 4 बजे तक म्यूनिस्पिल स्कूल रामलीला मैदान में शिविर आयोजित है जिसमें रा.नि.नजूल मनोज पटेल, खेमराज पटेल एवं टीकाराम राठिया की ड्यूटी लगाई है। शीट नं. 40, 41 एवं 42 के लिये 22 जुलाई को प्रातः 10.30 बजे से शाम 4 बजे तक भूपदेव स्कूल केवड़ाबाड़ी में शिविर का आयोजन किया जायेगा, जिसमें रा.नि.नजूल शास्ति प्रधान एवं श्रीमती उषा महतो की ड्यूटी लगाई गई है। शीट नं. 34, 45, 46, 59 एवं 60 के लिये 23 जुलाई को प्रातः 10.30 बजे से शाम 4 बजे तक ललित प्रा.शाला जेलपारा रायगढ़ में शिविर आयोजित की जाएगी। जिसमें रा.नि.नजूल टीकाराम राठिया एवं योगेश पटेल की ड्यूटी लगाई गई है। शीट नं. 53, 54, 55, 56, 69 एवं 70 के लिये 24 जुलाई को प्रातः 10.30 बजे से शाम 4 बजे तक चांदमारी सामुदायिक भवन में शिविर का आयोजन किया गया है। जिसमें रा.नि.नजूल मनोज पटेल, खेमराज पटेल एवं टीकाराम राठिया की ड्यूटी लगाई गई है।

# जिले की 26 निजी पैथोलॉजी लैब की हुई जांच

## लैलूंगा में बिना लाईसेंस के संचालन पर कौशिक पैथोलाजी लैब को किया गया सील

### » लैब्स की जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी आगे की कार्यवाही

**रायगढ़ ।** कलेक्टर भीम सिंह के दिशा-निर्देशन एवं सीएमएचओ डॉ.एस.एन.केशरी के मार्गदर्शन में जिले में संचालित निजी पैथोलॉजी लैब की जांच की गयी। आज जिले के 26 पैथोलॉजी लैब की जांच जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गयी। सीएमएचओ डॉ.केशरी ने बताया कि जांच के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार जिन लैब्स में तय मानकों के आधार पर संचालन संबंधी व्यवस्थाओं में कमी पायी गयी है, वहां कलेक्टर सिंह के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाएगी।

कलेक्टर भीम सिंह ने सभी एसडीएम व बीएमओ को निजी पैथोलॉजी लैब्स के निरीक्षण के लिए निर्देशित किया था। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य लैब की मानक स्तर की जांच करना जैसे लाइसेंस की स्थिति, लैब टेक्नोलॉजी की वैध प्रमाण-पत्र, फायर सेफ्टी उपकरण की उपलब्धता, सभी मरीजों का रिकार्ड का संधारण, जांच की दर इत्यादि मुख्य रूप से शामिल था। शहरी क्षेत्र रायगढ़ में संचालित 6 निजी पैथोलॉजी लैब का संयुक्त टीम ने निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कुछ-कुछ कमियां सभी पैथोलॉजी केन्द्र में देखने को मिली, जैसे स्पर्श पैथोलॉजी का लाइसेंस समयावधि 3 माह से समाप्त हो गया था। राजप्रिय अस्पताल लैब का आकार मानक स्तर पर नहीं मिला एवं लैब टेक्नीशियन उपस्थित नहीं पाये गए। संजीवनी अस्पताल के पैथोलॉजी लैब में पीपीई किट की अनुपलब्धता, बालाजी पैथोलाजी में फायर एक्स्टींगिशर, बीएमडब्ल्यू अपशिष्ट प्रबंधन में कमी एवं पीपीई किट की अनुपलब्धता पाई गई। साथ ही कार्यरत स्टाफ बिना मास्क के कार्य करते पाये गये जिस हेतु 2500 रुपये की चालानी कार्यवाही भी की गई तथा लैब का आकार भी मानक स्तर पर नहीं मिला। अरूण केडिया पैथोलॉजी लैब में साफ.-सफाई की कमी पाई गई। इस प्रकार निरीक्षण किए गए सभी पैथालॉजी लैब में जांच की दरों का सही तरीके से प्रदर्शन नहीं किया गया था। निरीक्षण में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार एवं शहरी कार्यक्रम प्रबंधक शामिल थे। इसी प्रकार लैलूंगा में जांच के दौरान कौशिक मेडिकल पैथोलॉजी को बिना लायसेंस के पैथॉलोजी लैब को संचालन करते पाये जाने पर एसडीएम व बीएमओ की संयुक्त टीम ने सील कर दिया। इसी प्रकार बरमकेला में 5, सारंगढ़ में 3, पुसौर में 1, रायगढ़ में 6, खरसिया में 4, तमनार में 2, घरघोड़ा में 2, लैलूंगा में 3 सहित कुल 26 निजी पैथालॉजी लैब की जांच की गयी।

## दुकानों को अब रात्रि 10 बजे तक खोलने की मिली अनुमति

**रायगढ़ ।** कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुये कलेक्टर भीम सिंह द्वारा जिले में कुछ प्रतिबंध के साथ प्रतिष्ठान/संस्थानों एवं अनुमति प्राप्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति (सप्ताह में दिन रविवार को छोड़कर) दी गई है तथा इस कार्यालय द्वारा जारी संशोधित आदेशानुसार दिनांक 13 जुलाई 2021 के द्वारा समस्त प्रकार के प्रतिष्ठान एवं व्यवसायिक दुकानों के सामान्य संचालन की अनुमति शर्तो के अधीन रात्रि 8 बजे तक दी गई थी। उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये जिले के समस्त प्रकार के प्रतिष्ठान/व्यवसायिक दुकान तथा अनुमति प्राप्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति (सप्ताह में दिन रविवार को छोड़कर)रात्रि 10 बजे तक कोविड-19 दिशा-निर्देशों का पालन करते हुये, शर्तो के तहत दी जाती है। शेष शर्ते पूर्ववत लागू रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

## दुष्कर्म के आरोपी को सारंगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार

**रायगढ़।** सारंगढ़ पुलिस द्वारा आज दिनांक 16/07/2021 को दुष्कर्म के फरार आरोपी पुरूषोत्तम देवांगन निवासी खैरहा को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी पर थाना क्षेत्र की युवती प्रेम संबंध बनाकर शादी करने का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

जानकारी के अनुसार दिनांक 12/07/2021 को पीडिता थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि पिछले पांच साल से पुरूषोत्तम देवांगन के साथ प्रेम संबंध है। पुरूषोत्तम विवाह करूंगा कहकर कई बार शारीरिक संबंध स्थापित किया। युवती बताई कि पुरूषोत्तम अलग-अलग स्थान में किराये का मकान लेकर पत्नी की तरह रखा था, मेरे घरवालों को पता चलने पर घर से निकाल दिये हैं, पिछले एक साल से सारंगढ़ में किराये मकान पर रह रही हूं। किराये मकान में भी पुरूषोत्तम देवांगन आकर संबंध बनाता था, विवाह करने कहने पर शादी करने से इंकार किया और बिना बताये चोरी छिपे अपने सामाज की लड़की से शादी कर लिया। पीडिता के रिपोर्ट पर आरोपी पुरूषोत्तम देवांगन निवासी मुर्रा गली स्टेट बैंक के बगल सारंगढ के विरूद्ध अप.क्र. 399/2021 धारा 376 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। अपराध पंजीबद्ध बाद से आरोपी पुरुषोत्तम देवांगन पिता बैद्यनाथ देवांगन उम्र 25 साल निवासी मुर्रा गली स्टेट बैंक के पास सारंगढ़ हाल मुकाम खैरहा फरार था जिसे आज गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

## एसपी के निर्देशन पर नाबालिग से दुष्कर्म मामले का 5 दिनों के भीतर चालान किया गया पेश

### » आरोपी को शीघ्र कड़ी सजा दिलाने की कवायद हुई तेज़

**रायगढ़।** दिनांक 10/07/2021 को पुलिस चौकी जूटमिल अंतर्गत नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कड़ी सजा दिलाने की उठ रही मांग को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा द्वारा मामले के आरोपी को कठोर से कठोर सजा दिलाने सुपरविजन अधिकारी सीएसपी रायगढ़ अविनाश सिंह ठाकुर को मामले में शीघ्र चालान पेश कराने का निर्देश दिया गया था। सीएसपी रायगढ़ के निर्देशन पर जूटमिल पुलिस के प्रभारी उपनिरीक्षक रामस्वरूप नेताम द्वारा प्रकरण की पीड़िता का वीडियोग्राफी कथन, प्रकरण के आधा दर्जन गवाहों के कथन लेकर मामले में आवश्यक दस्तावेजों, मेडिकल एवं एफएसएल रिपोर्ट सहित शेष कार्यवाही पूर्ण करते हुए 5 दिनों के भीतर ही दिनांक 15/07/2021 को मामले का चालान पेश किया गया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा सीएसपी रायगढ़ को एक और अहम जिम्मेदारी सौंपते हुए मामले की सुनवाई दौरान गवाहों को नियत समय पर उपस्थित कराने तथा लोक अभियोजन अधिकारी से उचित समन्वय स्थापित कर उनकी हर प्रकार से सहयोग करने निर्देशित किया गया है।

एएसपी रायगढ़ अभिषेक वर्मा, बताए कि गत दिनों माननीय फास्ट ट्रैक कोर्ट रायगढ़ द्वारा चक्रधरनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी गई है। जूटमिल चौकी क्षेत्र के नाबालिग से रेप के आरोपी शंकर चौहान पिता डमरू चौहान उम्र 25 वर्ष को भी कठोर से कठोर सजा दिलाने पुलिस प्रयासरत रहेगी।

विदित हो कि दिनांक 10/07/2021 को जूटमिल पुलिस आरोपी शंकर चौहान के विरूद्ध अप.क्र. 988/2021 धारा 323,376,376(एबी) आईपीसी4, 6 पास्को एक्ट पंजीबद्ध कर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया था।

## डिमांड अनुसार स्व-सहायता समूहों से टाईअप करें उद्योग-कलेक्टर

### » कलेक्टर ने ली सीएसआर के संबंध में उद्योग प्रतिनिधियों की बैठक

**रायगढ़ ।** मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप जिले में स्व-सहायता समूहों को आजीविका के लिये उन्हें विभिन्न आयमूलक गतिविधियों से जोड़ना है, इसके लिए उद्योग के डिमांड के आधार पर इंडस्ट्रीज को स्व-सहायता समूह से टाईअप करने की दिशा में काम किया जा रहा है। जिससे समूहों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सकेंगे। उक्त बातें कलेक्टर भीम सिंह ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित सीएसआर की बैठक में कही।

कलेक्टर सिंह ने उद्योग प्रतिनिधियों से उनके कार्य क्षेत्र में लगने वाले वस्तुओं के डिमांड के आधार पर उनसे बात की। उद्योग प्रबंधनों ने सेफ्टी बेल्ट, जैकेट, जूता, फिनाईल, झाडू एवं अन्य वस्तुओं की मांग रखी। कलेक्टर सिंह ने उद्योग अधिकारी को एक कमेटी बनाने और पूरी प्लानिंग के साथ इस पर कार्य करने हेतु निर्देशित किया। ताकि जिले में यूनिट लगाकर स्व-सहायता समूहों एवं स्थानीय स्तर पर लोगों को स्व-रोजगार से जोड़ा जा सके। उन्होंने उद्योगों के कैंटीन में सब्जियों की सप्लाई के लिये समूहों की बाड़ियों के साथ लिंकेज करने के लिये कहा। इसके साथ ही समूह द्वारा केलो रायगढ़ ब्रांड के नाम से तैयार किए जा रहे उत्पादों के विक्रय हेतु टाईअप करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर सिंह ने सभी उद्योग प्रबंधन को पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन हेतु अपने उद्योगों के आसपास के क्षेत्रों में अधिक से अधिक पेड़ लगाने को कहा। साथ ही प्रदूषण को ध्यान में रखते हुये उद्योगों में हमेशा ईएसपी चालू रखने के निर्देश दिए। उद्योगों में परिवहन हो रहे सभी मालयान बड़ी गाड़ियों के पीछे हिस्से को तिरपाल से ढंकने के निर्देश दिए, ताकि रास्ते में धूल न उड़े। जिससे आने-जाने वाले नागरिकों को कोई परेशानी न हो।

कलेक्टर सिंह ने सभी उद्योग प्रतिनिधियों को बीते सत्र में दिए गए सीएसआर की राशि एवं इस वर्ष में दिए जाने वाले मांग के संबंध में विस्तृत चर्चा की। उन्होंने सीएसआर मद की राशि समय पर देने की बात कही, ताकि जिले में उससे स्वीकृत विकास कार्य तेजी से पूरे किये जा सके। उन्होंने कहा कि पिछले दो सालों से कोविड की वजह से स्कूल बंद पड़े है, जिससे बच्चों को ऑनलाईन पढ़ायी करायी जा रही है, लेकिन जिले में कई बच्चों के पास स्मार्ट फोन नहीं होने की वजह से वे पिछड़ जा रहे है, उन्होंने सभी उद्योगों को बच्चों के ऑनलाईन पढ़ाई के लिये ज्यादा से ज्यादा मोबाईल दान देने की बात कही। साथ ही उद्योगों को जिले में एजुकेशन के क्षेत्र में भी कार्य करने हेतु निर्देशित किया। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर सुश्री अभिलाषा पैकरा, मुख्य महाप्रबंधक जिला उद्योग के.एल.उईके, जिंदल, एनटीपीसी, एसीसीएल सहित जिले में स्थापित सभी उद्योगों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

कलेक्टर भीम सिंह ने सभी उद्योग प्रतिनिधियों को कोविड की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर सावधानी बरतने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रायः कोविड के केसेस उद्योग क्षेत्र से पहले आते है, क्योंकि वहां बाहर से वर्करों का आना-जाना होता रहता है, इसको ध्यान में रखते हुये बाहर से आने वाले वर्करों का कोविड टेस्ट करायें एवं उन्हें आईसोलेट करें, ताकि जिले में कोविड का संक्रमण न फैले।

## पद्म पुरस्कार-2022 के 16 अगस्त तक नामांकन आमंत्रित

**रायगढ़ ।** पद्म पुरस्कार श्रृंखला 2022 के तहत पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्म पुरस्कारों के लिये 16 अगस्त 2021 तक नामांकन आमंत्रित किया गया है।

ज्ञात है कि इस पुरस्कार में उत्कृष्ट कार्य को मान्यता प्रदान की जाती है और इसे सभी क्षेत्रों/विषयों जैसे कला, साहित्य और शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, सार्वजनिक मामलों, नागरिक सेवा, व्यापार और उद्योग आदि में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा के लिये प्रदान किया जाता है। इन पुरस्कारों से संबंधित विधान और नियमावली वेबसाईट www.pad-maawards.gov.in पर उपलब्ध है। पद्म पुरस्कार के लिये नामांकन केवल इसी वेबसाईट पर ऑनलाईन स्वीकार की जाएगी। डॉक्टरों एवं वैज्ञानिकों को छोड़कर, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में काम करने वाले व्यक्तियों सहित सरकारी सेवक, पद्म पुरस्कार के लिये पात्र नहीं है।

वेबसाईट पर दिए गए निर्देशों को पूर्ण करने वाले इच्छुक आवेदक, अपने समस्त उपलब्धियों सहित, ऑनलाईन आवेदन पश्चात कार्यालय, सहायक संचालक खेल एवं युवा कल्याण, रायगढ़ स्टेडियम बोईरदादर, जिला-रायगढ़ में 16 अगस्त 2021 की शाम 5 बजे तक जमा कर सकते है।

## मशरूम उत्पादन कर समूह की महिलायें आर्थिक रूप से खुद अपने पैरो पर खड़ी हुई, परिवार को भी दिया संबल

**रायगढ़ ।** मशरूम उत्पादन को स्वरोजगार का माध्यम बनाकर आज गुरूकृपा स्व-सहायता की महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हैं। ग्रामीण परिवेश में रहते हुए बिहान योजना से जुड़कर सभी ने मशरूम उत्पादन को स्वरोजगार का साधन चुना, जिसमें आज वे काफी सफल भी हैं और और परिवार को भी संबल प्रदान कर रही है।

उल्लेखनीय है कि बिहान छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत महिलाओं एवं युवतियों को स्व-सहायता समूह के रूप में गठित कर एवं उन्हें प्रेरित कर स्वरोजगार से जोड़े जाने की महत्वाकांक्षी योजना है। विकास खण्ड खरसिया के ग्राम पंचायत मिनगांव में गुरुकृपा महिला स्व-सहायता समूह का गठन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के तहत किया गया। समूह में कुल 10 सदस्य है, समूह की सभी महिलाओं का परिवार व्यक्तिगत रूप से कृषि एवं गैर कृषि कार्य में संलग्न है एवं यह इनके परिवार की आय का एक प्रमुख स्त्रोत भी है। मशरूम उत्पादन के लिये समूह की महिलाओं को पहले इसके बारे में बताया गया और उन्हें एक प्रशिक्षण भी दिया गया। महिलायें पहले इसे करने से हिचक रही थी, लेकिन गांव में ही रहकर कार्य करना उनके लिये आत्मविश्वास को बल प्रदान किया। समूह की महिलाओं को मशरूम उत्पादन का कार्य करते एक वर्ष से अधिक हो चुका है। मशरूम उत्पादन से समूह को 2 लाख रूपये का लाभ प्राप्त हुआ है। समूह को होने वाले शुद्ध लाभ को यह महिलाएं आपस में बराबर बांट लेती हैं। मशरूम की खेती करने से समूह से जुड़ी सभी महिलाओं की पारिवारिक स्थिति पहले की अपेक्षा बेहतर हुई है। जिससे सभी समूह की महिलायें काफी उत्साहित है। इसके लिए अध्यक्ष श्रीमती सविता गवेल एवं सचिव श्रीमती उषा गवेल ने शासन प्रशासन एवं बिहान टीम रायगढ़ को धन्यवाद व्यक्त किया है।

## तीन पंचायत सचिव निलंबित

**रायगढ़ ।** जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ.रवि मित्तल ने जिले के तीन ग्राम पंचायत सचिव जागेश्वर पुरसेठ, राजेन्द्र राठिया एवं खगेश्वर प्रसाद सिदार को मुख्यालय में नहीं रहने, कोविड वैक्सीनेशन के कार्य में रूचि नहीं लेने, अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने एवं बिना अनुमति मुख्यालय से बाहर रहने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

जनपद पंचायत तमनार ग्राम पंचायत आमगांव के ग्राम पंचायत सचिव जागेश्वर पुरसेठ को कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्य में रूचि नहीं लेने, ग्राम पंचायत मुख्यालय से बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने एवं शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन कार्य में लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत तमनार निर्धारित किया गया है।

जनपद पंचायत रायगढ़ ग्राम पंचायत मनुवापाली के ग्राम पंचायत सचिव राजेन्द्र राठिया को कोविड जैसे विशेष गंभीर परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने, बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने, 16 पंजी एवं रोकड़ बही संधारण नहीं करने, जन्म-मृत्यु पंजीयन की जानकारी समयावधि में नहीं देने एवं उच्चाधिकारियों के आदेश/निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत रायगढ़ निर्धारित किया गया है।

जनपद पंचायत लैलूंगा ग्राम पंचायत घियारमुड़ा के पंचायत सचिव खगेश्वर प्रसाद सिदार को कोविड-19 जैसे विशेष गंभीर परिस्थितियों में बिना पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं ग्राम पंचायत के कार्यों में रूचि नहीं लेने तथा अपने पदीय कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के कारण निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत तमनार निर्धारित किया गया है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480